संख्या-12/2018/180/38-6-2018

प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
यूपीएसआरएलएम,
गोमती नगर, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक-16 मई, 2018**

विषय:- उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु मिशन कार्यालय स्तर पर पदाभिहित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी, नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-551/1184/स्था0/आजीविका/ 2018, लखनऊ, दि0-05.04.2018 के संदर्भ में उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के अर्द्धशा0 पत्र सं0-89/91, दि0-20 फरवरी, 2018 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिनियम/अधिसूचना के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु मिशन निदेशक कार्यालय स्तर पर पदाभिहित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी निम्नवत नामित किया जाता है:-

मिशन निदेशक कार्यालय स्तर पर

d	foHkkx dk uke	lok,	inkfHkfgr vf/kdkjh	lokvk d fy, fu;r le;&lhek	iFke vihy dh fu;r le;&lhek	iFke vihy d fuLrkj.k dh fu;r le;&lhek	f}rh; vihyh; vf/kdkjh
1	2	3	4	5	6	7	8
1	m0i0 jkT; xkeh.k	fpfdRlk vodk'k dh	mik;Dr	15 fnu	l;Dr fe'ku fun'kd	15 fnu	fe'ku fun'kd

http://shasanadesh.up.nic.in

	vkthfodk fe'ku] xkE; fodkl	Lohdfr dk fu.k;			¼i'kkO½		
2	mijkDr	fpfdRlk ifrifr dk fu.k;	mik;Dr	60 fnu	l;Dr fe'ku fun'kd ¼i'kkO½	30 fnu	fe'ku fun'kd
3	mijkDr	vftr vodk'k dh L0hdfr dk fu.k;	mik;Dr	15 fnu	l;Dr fe'ku fun'kd ¼i'kkO½	07 fnu	fe'ku fun'kd
4	mijkDr	oru Hkxrku dk fu.k;	mik;Dr	15 fnu	l;Dr fe'ku fun'kd ¼i'kkO½	07 fnu	fe'ku fun'kd
5	mijkDr	dkUQhMfU'k;y bUVh dk fu.k;	mik;Dr	30 fnu	l;Dr fe'ku fun'kd ¼i'kkO½	30 fnu	fe'ku fun'kd

2- उक्तानुसार पदाभिहित अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहां निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत प्रकरण का निस्तारण नहीं होने पर जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा-7(1)(2)(4) के अन्तर्गत द्वितीय अपीलीय अधिकारी 500 रूपये से अन्यून तथा 5000 रूपये से अनाधिक की शासित अधिरोपित कर सकता है या उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति कर सकता है। उक्त दण्ड के विरूद्ध पुनरीक्षण का अधिकार शासन है। उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी नियमावली-2011 के नियम-14(1) के अन्तर्गत उक्त दण्डात्मक धनराशि लेखाशीर्षक-0070-अन्य प्रशासकीय सेवायें-60-अन्य सेवायें-800-अन्य प्राप्तियां-12-उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 में जमा की जाएगी। उक्त नियमावली में प्रारूप-1, 2, 3, 4, 5, एवं 6 निर्धारित की गयी है। प्रारूप-1 अभिस्वीकृति का प्रारूप है, प्रारूप-2 पदाभिहित अधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय की सूचना पट्ट का प्रारूप है, प्रारूप-3 पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में पोषित की जाने वाली पंजी का प्रारूप है तथा प्रारूप-4, 5 एवं 6 क्रमश: प्रथम अपीलीय अधिकारी, द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं पुनरीक्षण अधिकारी के कार्यालय कक्ष में अनुरक्षित की की जाने वाली पंजी पर सूचना एकत्र की जानी है1

http://shasanadesh.up.nic.in

2- कृपया लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग की अधिसूचना सं0-2413/एक-14-14-2010-33(08)/2011, दि0-12.11.2013 के क्रम में उपरोक्तानुसार मिशन निदेशक कार्यालय स्तर पर नामित पदाभिहित अधिकारीयों/प्रथम अपीलीय अधिकारी/द्वितीय अपीलीय अधिकारी के लिए सेवाओं के लिए नियम समय सीमा के अन्तर्गत निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-12/2018/180(1)/38-6-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

प्रेषित:-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- ग्राम्य विकास अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
3- लोक सेवा प्रबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in